संख्या- 347 /2025/ 3501 /चार-2025-1781659

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 12 दिसम्बर, 2025**

विषय:- भारत – नेपाल मैत्री महोत्सव - 2025-26 के आयोजन हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3416/सं0नि0-15(54)/2025-26, दिनांक 28 नवम्बर, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जनपदों यथा-सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, महाराजगंज एवं कुशीनगर में भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन सीमा सुरक्षा बल, पर्यटन विभाग, उ०प्र०, उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, उच्च माध्यमिक विद्यालय, विश्वविद्यालयों, विदेश मंत्रालय, भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्/ संस्कृति विभाग, नेपाल, गृह मंत्रालय, स्थानीय जिला प्रशासन एवं दीन दयाल शोध संस्थान, बलरामपुर के सहयोग से आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त कार्यक्रम में लगभग 1000 (एक हजार) से अधिक कलाकारों को मंच प्रदान किया जायेगा। **भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव-2025-26 में 08 जनपदों** (सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत, महाराजगंज एवं कुशीनगर) में लगभग 12 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अनुमानित व्यय विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किया गया है:-

क्र.सं.	विवरण	धनराशि
1	प्रदेश के 08 जनपदों में प्रतिभागी कलाकारों के मानदेय एवं किराये पर व्यय	75,00,000.00
2	विभिन्न जनपदों में मंच निर्माण पर व्यय	22,60,000.00
3	विभिन्न जनपदों में लाइट एवं साउण्ड पर व्यय	14,40,000.00
4	कार्यक्रमानुसार साज-सज्जा पर व्यय	15,80,000.00
5	प्रदेश के 08 जनपदों में प्रचार-प्रसार पर व्यय	17,20,000.00
6	प्रतिभागी कलाकारों के आवास एवं भोजन पर व्यय	19,00,000.00
7	प्रदेश के 08 जनपदों में कलाकारों के स्थानीय यातायात पर व्यय	8,60,000.00
8	प्रदेश के 08 जनपदों में बैक स्टेज/सूक्ष्म जलपान पर व्यय	4,50,000.00
9	अन्य विविध व्यय (प्रमाण-पत्र, निमन्त्रण पत्र, मूमेन्टा, लाइव स्ट्रीमिंग आदि)।	9,50,000.00
10	भारत-नेपाल सांस्कृतिक यात्रा हेतु बस पर व्यय (ब्रान्डिंग सहित)	5,50,000.00
11	विद्यालयों/महाविद्यालयों में क्विज/पेंटिंग प्रतियोगिताऐं/ कार्यशालाऐं/ संगोष्ठी	5,00,000.00
	कुल योग (रूपये एक करोड़ सत्तानवै लाख दस हजार मात्र)	1,97,10,000.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव-2025-26 के आयोजन पर कलाकारों के मानदेय मद में होने वाले व्यय हेतु **रूपये 75.00 लाख (रूपये पिचहत्तर लाख मात्र)** की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

3. प्रतिबन्ध/ शर्तें:-

(1) स्थानीय कलाकारों के माध्यम से संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या- 2769/चार-2022 दिनांक 27.12.2022 द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तों पर कार्यक्रम कराने हेतु कलाकारों का मानदेय अनुमोदित किया जायेगा। आनुषंगिक व्यय प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों एवं शर्तों पर कराकर वास्तविक व्यय विवरण के साथ अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों / गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।

(7) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26, नवम्बर, 2024 में दी गयी व्यवस्था के क्रम में ई- टेण्डर/ जेम पोर्टल की दरों के आधार पर न्यूनतम दरों का निर्धारण किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

(10) संबंधित संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि का समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।

(11) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(12) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) संस्कृति निदेशालय द्वारा कार्यक्रमों का विवरण, फोटो/ वीडियो एवं व्यय संबंधी सभी अभिलेख सुरक्षित रखे जायें एवं पोस्ट आडिट भी कराना सुनिश्चित किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-05- नेपाल सीमा से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश के जिलों तथा बुन्देलखण्ड के जनपदों में मेलों/ महोत्सवों का आयोजन -42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 347 /2025/ 3501 (1)/चार-2025-1781659 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर/ महाराजगंज/ कुशीनगर/ बलरामपुर/ श्रावस्ती/ बहराईच/ लखीमपुर खीरी/ पीलीभीत।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।